कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा(अम्बिकापुर)(छ0ग0)
:: तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती–2022::
–:: सूचना–पत्र ::–

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, (छ0ग0) के विज्ञापन कमांक विज्ञापन कमांक 1286/दो–11–1/2022 दिनांक 22.09.2022 प्रकाशित किया गया है, जिसके अनुक्रम में शुद्धि पत्र क्र–103/दो–11–1/2022, अम्बिकापुर ,दिनांक 23/01/23 एवं शुद्धि पत्र कमांक 890/दो–11–1/2022 अम्बिकापुर दिनांक 22.06.2023 के द्वारा जिला स्थापना अंतर्गत रिक्त वाहन चालक (नियमित)–01 पद, भृत्य (एस.टी. दिव्यांग)–01 पद एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के –08 पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो के स्कुटनी उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जा रही है तथा उक्त पदों हेतु परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान(परीक्षा कार्यक्र) निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

–:: परीक्षा कार्यक्रम ::–

क्र	पद नाम	परीक्षा का नाम	परीक्षा का दिनांक	परीक्षा का समय	रोल नम्बर	परीक्षा स्थल
1	वाहन चालक	लिखित परीक्षा	23.07.2023 (रविवार)	दोपहर 02:30 से 03:00 बजे तक (परीक्षा कक्ष में उपस्थित होने का समय 02.15 बजे)	1001 से 1428 तक	विवेकानन्द विद्या निकेतन उ. मा. विद्यालय, देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)
2	आकस्मिकता निधि कर्मचारी	लिखित परीक्षा	23-07-2023 (रविवार)	सांय 04:30 से 05:00 बजे तक (परीक्षा कक्ष में उपस्थित होने का समय 04.15 बजे)	3001 से 3411 तक	विवेकानन्द विद्या निकेतन उ. मा. विद्यालय, देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)
3	भृत्य (दिव्यांग)	लिखित परीक्षा	23-07-2023 (रविवार)	सायं 04:30 से 05:00 बजे तक (परीक्षा कक्ष में उपस्थित होने का समय 04.15 बजे)	2001 से 2051 तक	विवेकानन्द विद्या निकेतन उ. मा. विद्यालय, देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

टीप :- यदि उपरोक्त पदों के लिखित परीक्षा, नियत तिथि को सम्पन्न नहीं हो पाती है, और स्थगित होती है, तो उक्त दिवस को ही उपस्थित अभ्यार्थियों को आगामी परीक्षा तिथि की जानकारी देते हुए, परीक्षा कार्यक्रम जिला न्यायालय के वेबसाईड एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जावेगा।

प्रकाशित विज्ञापन एवं जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन अनुसार उपरोक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

01. **वाहन चालक के** विज्ञापित 01 पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या सिमित किये जाने हेतु, 40 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जिसके उपरांत प्राविण्य/मेरिट सूची के आधार पर विज्ञापित पद के 15 गुना अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा-50 अंको का आयोजित किया जावेगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर चयन किया जावेगा। कौशल परीक्षा हेतु नियत तिथि की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाईट में पृथक से जारी की जावेगी।

02. **भृत्य (अनुसूचित जनजाति दिव्यांग)** के विज्ञापित 01 पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या सिमित किये जाने हेतु, 40 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जिसके उपरांत प्राविण्य/मेरिट सूची के आधार पर विज्ञापित पद के 15 गुना अभ्यर्थियों का साक्षात्कार-10 अंको का आयोजित किया जाना है। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर चयन किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु नियत तिथि की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाईट में पृथक से जारी की जावेगी।

03. **आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों** के पद, के अभ्यर्थियों की संख्या सिमित किये जाने हेतु 40 अंकों के लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जिसके उपरांत प्राविण्य/मेरिट सूची के आधार पर विज्ञापित पद के 15 गुना अभ्यर्थियों का साक्षात्कार-10 अंको का आयोजित किया जाना है। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर चयन किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु नियत तिथि की जानकारी जिला न्यायालय के वेबसाईट में पृथक से जारी की जावेगी।

उपरोक्त परीक्षा योजना अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने हेतु, विज्ञापित पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों में से पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत, वाहन चालक, भृत्य एवं आकस्मिकता निधि कर्मचारी के पद के अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक/रोल नम्बर आबंटित कर सूची, प्रकाशित की जा रही है।

यह भी निर्देशित किया जाता है अभ्यर्थी प्रवेश पत्र का प्रारूप **जिला न्यायालय सरगुजा के वेबसाईड https://districts.ecourts.gov.in /surguja में से** डाउनलोड कर समस्त प्रविष्टि करते हुए, वैध पहचान प्रमाण पत्र जैसे डाईविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड सहित परीक्षा तिथि को परीक्षा समय से एक घंटा पूर्व परीक्षा कक्ष में उपस्थित रहेंगे ताकि प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र

का मिलान कर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सके। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी माध्यम से लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु सूचना/प्रवेश पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा, इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।

15/3/2013

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
सरगुजा(अम्बिकापुर) छ0ग0